सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/664 दर्ज तिथिः—19.09.2025

1. बरकत खां पुत्र नसार
   जाति कोटवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी।

......................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—12.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया—
   - कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1259/8 रकबा 0.0324 है0 सरहद मौजा बोरली पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
   - कि प्रार्थी के खातेदारी खेत तक आने—जाने के लिए खसरा संख्या 1259/1 रकबा 0.2914 है0 किस्म बा0दो0 मौजा बोरली पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी में से वक्त सेटलमेंट से रास्ता का उपयोग किया जा रहा है।
   - कि उक्त खसरों में से प्रार्थी के आने—जाने के लिए उपयोग में आ रहा है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण उक्त चलायमान रास्ते पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है।
   - कि खसरा संख्या 1259/1 रकबा 0.2914 है0 किस्म बा0दो0 मौजा बोरली पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी पर मौके पर चलायमान रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये डाक रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में हाजा न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/684

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.09.2025 द्वारा तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी का पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 1864 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है—

- कि ग्राम बोरली के खसरा संख्या 1259 / 1 किस्म बा0दो0 में प्रार्थना पत्र के सलंग्न नक्शानुसार रास्ता मौके पर चालू है।
- कि उक्त खसरा संख्या 1259 / 1 किस्म बा0दो0 में नक्शानुसार ही रास्ता मौके पर चालू है।
- कि खसरा संख्या 1259 / 1 रकबा 0.2914 किस्म बा0दो0 का मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग लिए जाने के कारण नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा का विश्लेषण आवश्यक है

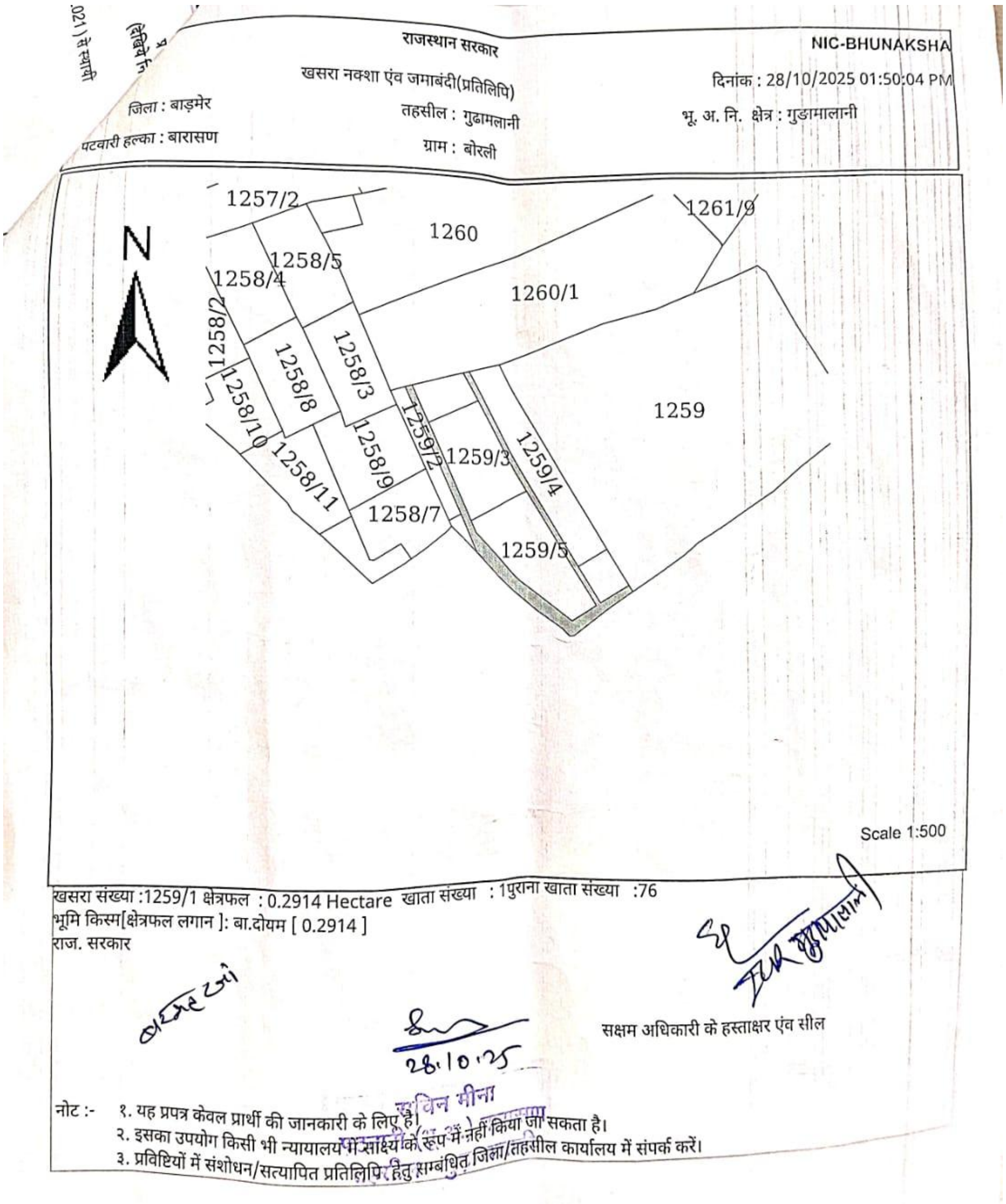

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

4. इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम—1957 के नियम—58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू—अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू—अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

5. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम—1957 के नियम—58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यद्यित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ता खसरा संख्या 1259/1 रकबा 0.2914 है0 किस्म बा0दो0 मौजा बोरली पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी पर वर्तमान में मौके पर चलायमान रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम—1957 के नियम—58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार रास्ता खसरा संख्या खसरा संख्या 1259/1 रकबा 0.2914 है0 किस्म बा0दो0 मौजा बोरली पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी पर वर्तमान में मौके पर चलायमान रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested